क्रम-संख्या—110

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मई, 2006

ज्येष्ठ 3, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 583/सात-वि-1—01(क)18-2006

लखनऊ, 24 मई, 2006

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 23 मई, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 14 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 14 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

(3-क) रजिस्ट्रार राज्य के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु, चक्रीय क्रम से, संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958) के अधीन स्थापित तीनों विश्वविद्यालय अर्थात् :–

1–नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद,

2–चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, और

3–सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ,

अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी-अपनी प्रवेश परीक्षाएं अलग-अलग संचालित करा रहे हैं जिसके कारण कृषि एवं प्रौद्योगिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक विश्वविद्यालय में आवेदन-पत्र भरना पड़ता है और फीस जमा करनी पड़ती है जिससे अभ्यर्थियों पर अनावश्यक भार पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को प्रत्येक ऐसे विश्वविद्यालय से समुचित सूचना समय से नहीं मिल पाती है। अतएव, अभ्यर्थियों की उक्त असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह व्यवस्था की जाय कि रजिस्ट्रार राज्य के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु, चक्रीय क्रम से, संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

तदनुसार उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

N0. 583/VII-V-1–01(Ka)-18-2006
Dated Lucknow, May 24, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 23, 2006.

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006

(U.P. ACT No. 16 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

Amendment of section 14 of U.P. Act no. 45 of 1958

2. In section 14 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 *after* sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

(3-a) The Registrar shall be responsible for organising, by rotation, Joint Entrance Examination for admission in all courses of study of the three State Agricultural Universities.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The three Universities namely :—

1. Narendra Dev Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Faizabad,

2. Chandra Shekhar Azad Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Kanpur, and

3. Sardar Vallabh Bhai Patel Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Meerut,

established under the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (U.P. Act no. 45 of 1958) are conducting their entrance examinations separately for admission in their various courses of study due to which the candidates seeking admission in Krishi Evam Prodyogik course of study have to fill admission form and deposit fee in each Vishwavidyalaya which causes unnecessary burden on the candidates. Besides the candidates do not get proper information from every such Vishwavidyalaya timely. Therefore in order to remove the said inconvenience to the candidates it has been decided to amend the said Act to provide that the Registrar shall be responsible for organizing, by rotation, joint entrance examination in all courses of study of the three State Agricultural Universities.

The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2006 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 231 राजपत्र (हि०)–(351)–2006–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 35 सा० विधायिका–(352)–2006–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।